प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.08.2026

गाजियाबाद पुलिस का चार पहिया वाहन चोर गिरोह के विरुद्ध सशक्त अभियान

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अलीगढ, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र से चार पहिया वाहनों की चोरी करने व चोरी के वाहनो की खरीद फरोख्त करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जनपद-बुलन्दशहर वाहन चोरी के अभियोग में वाँछित रू0 20,000/- के पुरस्कार घोषित अपराधी सहित गिरोह के 04 शातिर सक्रिय सदस्य गिरफ्तार कब्जे से चोरी के 05 चार पहिया वाहन, फर्जी नम्बर प्लेट व चार पहिया वाहन चोरी करने मे प्रयुक्त उपकरण बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में चार पहिया वाहनों की चोरी करने व चोरी के वाहनो की खरीद फरोख्त करने वाले के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के कुशल नेतृत्व में दिनाँक-05/08/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अलीगढ, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र से चार पहिया वाहनों की चोरी करने व चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जनपद-बुलन्दशहर से वाहन चोरी के अभियोग में वाँछित एवं रू0 20,000/- के पुरस्कार घोषित अपराधी सहित गिरोह के 04 शातिर सक्रिय सदस्य आदित्य सिंह, रिंकू उर्फ सचिन उर्फ रंजीत, दिलीप उर्फ छोटू तथा माजिद उर्फ भूरा को आवास विकास आसरा-2, नवादा कट सपना चौराहा थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 05 अदद चार पहिया वाहन (महेन्द्रा स्कॉर्पियो, मारूति ब्रेजा, किआ सेल्टोस, ग्राण्ड विटारा व मारूति स्विफ्ट), फर्जी नम्बर प्लेट, व वाहन चोरी करने में प्रयुक्त इसैक्ट्रोनिक उपकरण आदि बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.आदित्य सिंह पुत्र जगमोहन सिंह निवासी ग्राम किशनपुर गढिया थाना बेबर जनपद मैनपुरी वर्तमान निवासी सैक्टर सी-1 अंसल थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब-35 वर्ष

2.रिंकू उर्फ सचिन उर्फ रंजीत पुत्र आशाराम निवासी ग्राम अजीत नगर थाना सिविल लाईन जनपद-इटावा हाल पता- सैक्टर सी-1 अंसल थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब-32 वर्ष

3.दिलीप उर्फ छोटू पुत्र राकेश निवासी ग्राम गौंदाई थाना नारखी जनपद-फिरोजाबाद हाल पता-डी-101 मूलचन्द पब्लिक स्कूल के पास सैक्टर 44 नोएडा उम्र करीब-34 वर्ष

4.माजिद पुत्र यामीन निवासी भमरा थाना गुलावठी जनपद-बुलन्दशहर हाल पता-हुमायू नगर थाना लोहिया नगर जनपद-मेरठ उम्र-41 वर्ष

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य सिंह ने पूछताछ करने पर बताया कि ग्राम किशनपुर गढिया थाना बेबर जनपद मैनपुरी का मूल निवासी है तथा 12 वीं तक पढा है इसके पिता की मृत्यू होने से पहले तक अपने पिता के साथ गाजीपुर मण्डी में आढत पर काम करता था। गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू उर्फ सचिन उर्फ रंजीत ने पूछताछ करने पर बताया कि ग्राम अजीत नगर थाना सिविल लाईन जनपद-इटावा का मूल निवासी है तथा 10वी तक पढा है एवं वर्तमान में टैक्सी ड्राईविंग का काम करता है। अभियुक्त दिलीप उर्फ छोटू ने बताया कि वह मूल रूप से जनपद-अलीगढ का रहने वाला है व 10 वीं तक पढा है, पहले वह शराब तस्करी का काम करता था लेकिन काफी बार जेल चले जाने के बाद अब वर्तनाम मे टैक्सी ड्राईविंग का काम करता है। गिरफ्तार अभियुक्त माजिद ने बताया कि वह ग्राम भमरा जनपद बु0शहर का मूल निवासी है अनपढ है वर्तमान मे मेरठ मे रहकर मोटर साईकिल से कपडे की फेरी का काम करता है। गिरफ्तार अभियुक्त माजिद व दिलीप उर्फ छोटू ने बताया कि इन दोनो के माध्यम से चारो लोग एक-दूसरे के सम्पर्क मे आये थे, आदित्य, माजिद व रिंकू उर्फ सचिन पहले से चार पहिया वाहनों की चोरी व खरीद फरोख्त का काम करते थे, इसके बाद उक्त चारो ने चार पहिया वाहन चोरी करने व चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त करने का एक संगठित गिरोह बना लिया और गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर मे चार पहिया वाहनो की चोरी व चोरी के वाहनो की खरीद-फरोख्त का काम शुरू कर दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम चारो लोग गोपालगंज बिहार निवासी शुभम उर्फ सौरभ व जयपुर राजस्थान निवासी अमित उर्फ बलवन्त की डिमाण्ड के अनुसार नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर से गाडी चोरी करके अच्छी कीमत पर शुभम उर्फ सौरभ व अमित उर्फ बलवन्त को बेच देते है। आज भी हम लोग यह गाडियाँ अपने साथी शुभम उर्फ सौरभ व अमित उर्फ बलवन्त देने की फिराक में घूम रहे थे।

गिरफ्तार चारो अभियुक्तों ने बताया कि इनसे बरामद गाडियाँ इन्होने एक साथ मिलकर विकासपुरी, मालवीयनगर व ग्रेटर कैलाश दिल्ली से चोरी की थी। पकडे गये व्यक्तियों से ओर सख्ती से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब हम लोग पकडे जाने से बचने के लिये चोरी किये गये चार पहिया वाहनो की नंबर प्लेट उतारकर फेक देते है तथा पकडे जाने से बचने के लिये ही चोरी की गाडियों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर रखते हैं, इन गाडियों के अलावा भी हम चारों ने मिलकर जनपद लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, अलीगढ, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र व अन्य जगहो से काफी चार पहिया वाहनो को चोरी करके अपने साथी गोपालगंज बिहार निवासी शुभम उर्फ सौरभ व जयपुर राजस्थान निवासी अमित उर्फ बलवन्त को बेच चुके है। चार पहिया वाहनों की चोरी करके उनको बेचने से जो मुनाफा होता हैं उसको हम चारो आपस मे बराबर-बराबर बाँट लेते हैं तथा उन्ही रूपयो से अपने शौक व घर के खर्च चलाते है।

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण-

1.स्कॉर्पियो एन रंग काला रजिस्ट्रेशन न0- UP16ER0379 (थाना मालवीय नगर साऊथ दिल्ली क्षेत्र से चोरी)

2.किआ सेल्टोस रंग ग्रे रजिस्ट्रेशन न0- DL3CCV3429 (थाना ग्रेटर कैलाश साऊथ दिल्ली से क्षेत्र से चोरी)

3.स्विफ्ट रंग सफेद रजिस्ट्रेशन न0-UP57CA5849 (थाना विकासपुरी पश्चिम दिल्ली क्षेत्र से चोरी)

4.ब्रेजा रंग सफेद रजिस्ट्रेशन न0-DL3CDE5071 (थाना मालवीय नगर साऊथ दिल्ली से चोरी)

5.ग्राण्ड विटारा रंग सफेद रजिस्ट्रेशन न0-UP14FZ4210 (फर्जी न0 प्लेट - BR 01HR 4368)

6.ईसीएम मशीन- 02 अदद

7.गाडियों के लॉक सेट- 07 अदद

8.रिमोट व बिना रिमोट की विभिन्न कार कम्पनियों की चाबियाँ- 59 अदद

9.स्टेरिंग लॉक- 01 अदद

10.गाडियों की खिडकियों के लॉक- 06 अदद

11.गाडी स्टार्टर लट्टू- 02 अदद

12.टूल किट केबल- 18 अदद

13.केबल होल्डर- 06 अदद

14.प्रोगरामिंग चिप- 04 अदद

15.ग्राईन्डिंग मशीन- 01 अदद

16.फर्जी नम्बर प्लेट- 12 अदद

17.गाडियाँ चोरी करने मे प्रयुक्त इलैक्ट्रोलिक टैब मय चार्जर- 02 अदद

18.वाहन चोरी करने मे प्रयुक्त अन्य उपकरण

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1.**आदित्य सिंह का आपराधिक इतिहास-**

1.मु0अ0स0-159/22 धारा-379/411 भादवि थाना विभूति खण्ड लखनऊ

2.मु0अ0स0-348/22 धारा-379/411/413/414/34 भादवि थाना आशियाना लखनऊ

3.मु0अ0स0-289/22 धारा-379/411/413/414/34 भादवि थाना आशियाना लखनऊ

4.मु0अ0स0-162/22 धारा-379 भादवि आगरा

5.मु0अ0स0-193/22 धारा-413/414/420/467/468/471/474/475/34 भादवि आगरा

6.मु0अ0स0-624/24 धारा-303(2)/ 317(2)/ 317(4) बीएनएस थाना शाहपुरल्ली गोरखपुर

7.मु0अ0स0-625/24 धारा-303(2)/ 317(2)/ 317(4) बीएनएस थाना शाहपुरल्ली गोरखपुर

2.**रिंकू उर्फ सचिन उर्फ रंजीत का आपराधिक इतिहास-**

1.मु0अ0स0-188/18 धारा-3/25 ए.एक्ट थाना चिनहट लखनऊ

2.मु0अ0स0-185/18 धारा-379/411/420/467/468/471 भादवि थाना चिनहट लखनऊ

3.मु0अ0स0-220/21 धारा-379/411 भादवि थाना कैंट प्रयागराज

4.मु0अ0स0-224/21 धारा-399/402/411/413/414/420/467/468/471/474 भादवि थाना कैंट प्रयागराज

5.मु0अ0स0-228/21 धारा-379/411 भादवि थाना जॉर्ज टाऊन प्रयागराज

6.मु0अ0स0-311/21 धारा-2/3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना कैंट प्रयागराज

3.दिलीप उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0-600/18 धारा-60 (1) आबकारी अधिनियम व 272/419/420/467/468 भादवि थाना इगलास अलीगढ

2.मु0अ0स0-130/20 धारा-60(2)/72 आबकारी अधिनियम व 272/273/420/467/468/471/307 भादवि व 51 एपीडीए एक्ट थाना लोधा अलीगढ

3.मु0अ0स0-349/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471/259/272/273 भादवि थाना खैर अलीगढ

4.मु0अ0स0-165/21 धारा-60(ए) आबकारी अधिनियम व 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि थाना लोधा अलीगढ

5.मु0अ0स0-162/15 धारा-60/72 आबकारी अधिनियम व 120बी/420 भादवि थाना खंदौली आगरा

6.मु0अ0स0-171/16 धारा-420/467/468/471/272/273/274 भादवि व 60/62/63/72 आबकारी अधिनियम थाना गभाना अलीगढ

7.मु0अ0स0-1674/17 धारा-60/62/72/64 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि थाना क्वारसी अलीगढ

8.मु0अ0स0-504/23 धारा-420/467/468/471/272/273 भादवि व 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम थाना अकराबाद अलीगढ

9.मु0अ0स0-01/24 धारा-2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना अकराबाद अलीगढ

3.माजिद का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0-743/20 धारा-411/413/410/467/468/471/34 भादवि थाना क्वारसी अलीगढ

2.मु0अ0स0-8164/21 धारा-379/411 भादवि थाना मोतीनगर वेस्ट दिल्ली

3.मु0अ0स0-28495/23 धारा-379/411 भादवि थाना राजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली

4.मु0अ0स0-78/24 धारा-411/413/414/420/467/468/471 भादवि थाना स्याना बु0शहर

नोट- अभियुक्त माजिद जनपद बुलन्दशहर से वाँछित / रू0 20,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी है

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः-दिनांक **04.08.2026** को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग एवं अपराध नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान **डिफेंस कॉलोनी की ओर एयर फोर्स रोड** से एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ एवं वाहन की जांच करने पर उसके कब्जे से **चोरी की 01 हीरो स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल** बरामद हुई। अभियुक्त से वाहन के संबंध में वैध अभिलेख मांगे जाने पर वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। वाहन का सत्यापन करने पर उक्त मोटरसाइकिल **थाना सीमापुरी, दिल्ली क्षेत्र से चोरी होना** पाया गया। बरामदगी के आधार पर थाना टीलामोड़ पर **धारा 317(2)/317(5) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह नशा करने का आदी है। अपने नशे एवं शौक-मौज पूरे करने के लिए वह विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करता है तथा अवसर मिलने पर उन्हें राह चलते लोगों को कम कीमत पर बेच देता है। चोरी से प्राप्त धनराशि से वह नशा एवं अपने अन्य शौक पूरे करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. **सुमित पुत्र दामोदर बर्नवाल**, उम्र करीब **22 वर्ष**, निवासी किराये का मकान, रियाजुद्दीन भूमिया मंदिर के पास, गली पसौड़ा, थाना टीलामोड़, जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की **01 हीरो स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल** (रंग काला, बिना नम्बर प्लेट)।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त सुमित के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग के अतिरिक्त थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का **01 अभियोग** पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

स्वाट टीम ट्रांस हिन्डन जोन तथा थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 कार टाटा टिगौर बरामद ।

कार्यावाही का विवरणः- दिनांक **04.08.2026** को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ट्रांस हिंडन द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग, वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं अपराध नियंत्रण हेतु चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान **लोहिया पार्क के पास, आराधना रोड** पर एक **टाटा टिगौर कार** का चालक पुलिस टीम को देखकर वाहन को पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम को संदेह होने पर तत्काल वाहन का पीछा कर उसे रोक लिया गया। वाहन चालक से भागने का कारण एवं वाहन के वैध अभिलेख मांगे गए, किन्तु वह कोई संतोषजनक उत्तर अथवा वाहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उक्त कार को लगभग **10 माह पूर्व दिल्ली स्थित एक क्लब के बाहर से चोरी** किया था तथा उसे लोनी स्थित अपने घर के पास एक पार्किंग में छिपाकर रखा हुआ था। अभियुक्त उक्त चोरी की कार को बेचने की फिराक में जा रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा उसे चोरी की कार सहित गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना साहिबाबाद पर **धारा 317(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मैं भीड-भाड वाली जगहों से मौके के फायदा उठाकर वाहन चोरी करता हूं। तथा चोरी की गाडी को जरूरतमन्द लोगो को अच्छे दामों मे बेच देता हूं। और अपना खर्च चलाता हूं। अभियुक्त द्वारा बताया कि यह कार मैने दिल्ली से करीब दस महीने पहले एक क्लब के पास से चोरी की थी, मैने इसको लोनी मे अपने घर के पास ही एक पार्किंग मे खड़ा कर दिया था । आज इसको बेचने की फिराक मे जा रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया । साहब मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दीजिये।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पताः-

शानू पुत्र मोहम्मद सलीम, उम्र करीब **24 वर्ष**, निवासी अब्दुल रहीम मस्जिद के पास, निठौरा रोड, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद। मूल निवासी- बस अड्डे के पास, ग्राम खरखौदा, थाना खरखौदा, जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरणः-

1. चोरी की **01 टाटा टिगौर कार** ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- अभियुक्त के पास से बरामद कार के सम्बन्ध मे एक अभियोग चोरी का दिल्ली मे पंजीकृत है तथा 01 अभियोग चोरी की सम्पत्ति बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना साहिबाबाद पर पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम गाजियाबाद।
- स्वाट टीम ट्रांस हिन्डन जोन टीम गाजियाबाद।

थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं स्वाट टीम नगर जोन द्वारा 05 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, गांजा बिक्री के 1210 रूपये बरामद ।

घटना का विवरणः- दिनांक 05.08.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध गांजा बिक्री करने वाले 01 अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू गुप्ता पुत्र बाबूराम निवासी म0नं0 130/2, न्यू कोट गांव थाना कोतवाली नगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त से 05 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री के 1210 रूपये बरामद किये गये । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त राजकुमार पुत्र राजू गुप्ता उपरोक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मैं अवैध गांजा बिक्री कर आर्थिक लाभ प्राप्त करता हूं । आज भी मैं अवैध गांजा की बिक्री करने आया था कि पुलिस ने पकड़ लिया ।

बरामदगी का विवरण-

- 05 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा
- गांजा बिक्री के 1210 रूपये
- एक मोबाइल फोन

अभियुक्त का नाम पता-

1. राजकुमार उर्फ राजू गुप्ता पुत्र बाबूराम निवासी म0नं0 130/2, न्यू कोट गांव थाना कोतवाली नगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -

1. मु0अ0सं0 – 218/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 618/06 धारा 147/148/149/307 आईपीसी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 586/06 धारा 379/411आईपीसी थाना वियनगर गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 619/06 धारा 25आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 952/10 धारा 110 गुण्डा अधिनियम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
6. मु0अ0सं0 332/14 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
7. मु0अ0सं0 95/15 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
8. मु0अ0सं0 1524/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना थाना जवियनगर गाजियाबाद।
9. मु0अ0सं0 02/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जवियनगर गाजियाबाद।
10. मु0अ0सं0 428/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
11. मु0अ0सं0 324/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
12. मु0अ0सं0 1115/18 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
13. मु0अ0सं0 1116/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
14. मु0अ0सं0 420/20 धारा 304 बी/498ए आईपीसी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
15. मु0अ0सं0 828/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम
- स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम नगर जोन

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 लाख 10 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री आर्यवीर थाना लोनी बॉर्डर द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत

समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना लोनी बॉर्डर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा-363/342/376(3) भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त रोहित पुत्र श्याम सिंह निवासी- मकान न0-05 राजनगर कॉलोनी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 05.08.2026 को धारा- 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 342 भादवि में 06 माह का कारावास व 500/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्संग कारित किया था जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 30.06.2021 को थाना लोनी बोर्डर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री उत्कर्ष वत्स विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)	**म0मु0आ0 प्रवेश पाल** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 मुकेश कुमार** पैरोकार थाना लोनी बोर्डर

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **05.08.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम

में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 05.08.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	
2.	ट्रांस हिण्डन	
3.	ग्रामीण	46
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।